राज्य सेक्टर (एस. एन. डी.)

सं0 2642/28-2-96-5(8)/(8) टी.सी.

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उच्च शिक्षा डिग्री प्लान अनुभाग
इलाहाबाद। (उ0प्र0),

उत्तराखण्ड विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 1997

विषय: राजकीय महाविद्यालय थलवाड़ी-थराली (चमोली) की स्थापना एवं पद/धन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक शिविर/1995-96 दि0 9 जुलाई, 1996 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी-थराली, (चमोली) की स्थापना एवं कला तथा विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर सुचारू रूप से पठन-पाठन के संचालनार्थ निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमानों में इस शासनादेश के निर्गत होने अथवा इन पदों पर विधिवत चयनोपरान्त नियुक्ति की तिथि से जो भी बाद में हो, से दि0 28 फरवरी, 1998 तक के लिए सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते यह पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिए जाए।

क्र0सं0 पद नाम	पदों की सं0	वेतनमान
1- प्राचार्य	एक	3700-125-4700-150-5700
2- प्रवक्ता (स्नातक स्तर पर) (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र इतिहास, राजनीतिशा0, भौतिक, वनस्पति, जन्तु, रसायनवि0 एवं गणित विषयों हेतु एक-एक पद)	ग्यारह	2200-75-2800-100-4000
3- वरिष्ठ लिपिक (कार्यालय अधीक्षक के स्थान पर)	एक	1200-30-1560-द.रो.-40-2040
4- कनिष्ठ लिपिक (कला/विज्ञान संकाय हेतु एक-एक पद)	दो	950-20-1150-द.रो.-25-1500
5- चपरासी/अर्दली	दो	750-12-870-द.रो.-14-940
6- प्रयोगशाला सहायक	चार	975-25-1150-द.रो.-30-1660
7- टेक्नीशियन (भौतिकी)	एक	950-20-1150-द.रो.-25-1500
8- प्रयोगशाला परिचर	चार	750-12-870-द.रो.-14-940
कुल पद	छब्बीस	

2= उक्त पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त वे ही भत्ते अनुमन्य होंगे जो राज्य ... निर्धारित किए जायेंगे।

3- उक्त पद निर्धारित प्रक्रिया एवं शासन की वर्तमान नीति नियमों के अनुसार विधिवत चयनोपरान्त ही भरे जायेंगे। तदर्थ नियुक्ति अनुमन्य नहीं होगी।

4- उक्त महाविद्यालय के लिए आवश्यक साज-सज्जा/उपकरणों/संयंत्र हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1996-97 में अनावर्तक व्यय के रूप में कुल रुपये 3.43 लाख (रुपये तीन लाख तैंतालीस हजार) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

8- परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों की सूची एवं उनके क्रय मूल्य तथा कुल अनुमानित लागत की धनराशि के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) अपनी संतुष्टि के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन करेंगे। आवश्यक साज-सज्जा/उपकरणों/संयंत्र इत्यादि का क्रय स्टोर परचेज नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1996-97 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-95 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2551-पहाड़ी क्षेत्र-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-104-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-04-राजकीय महाविद्यालय-0401 नये राजकीय महाविद्यालय का खोला जाना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीकरण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा. सं. ई-4/260/दस/97 दि. 29-3-97 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या 2642(1)/28-2-96-5(89)/81 टी.सी. तददिनांक।

- -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम लेखा एवं हकदारी उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
3- सहायक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) 18 ए रानी लक्ष्मीबाई मार्ग लखनऊ।
4- वित्त (ई-4)/शिक्षा अनुभाग-17/उत्तराखण्ड विकास अनुभाग-10/टेक्निकल सेल/आडिट सेल/कम्प्यूटर सेल।
5- श्री राज्यपाल कार्यालय घोषणा सेल।
6- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/जिलाधिकारी चमोली।
7- संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल।
8- उत्तराखण्ड मिनी सचिवालय देहरादून/नैनीताल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार जोशी)

संख्या– 649 /xxiv(7)/8(घो0)/2016

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7(उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

विषयः–राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय, विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–डिग्री प्लान/8714/2016–17 दिनांक 23.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय, विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय में निम्नलिखित तालिकानुसार उल्लिखित असिस्टेन्ट प्रोफेसरों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक (बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाय) के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र सं		पदनाम	वेतनमान रू. में	ग्रेड वेतन रू. में	पदों की सं0
1	राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी				
	1	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र	15600–39100	6000	01
		योग			01
2	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि				
	1	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–संस्कृत (पी0जी0)	15600–39100	6000	02
		योग			02
3	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर				
	1	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	5200–20200	2800	01
		योग			01
4	राजकीय महाविद्यालय, गरूड़				
	1	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–गृह विज्ञान	15600–39100	6000	01
	2	प्रयोगशाला सहायक	5200–20200	2400	01
	3	प्रयोगशाला परिचर	आउटसोर्स के माध्यम से		01
		योग			03
5	राजकीय महाविद्यालय, कपकोट				
	1	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–भूगर्भ विज्ञान	15600–39100	6000	01
	2	प्रयोगशाला सहायक	5200–20200	2400	01
	3	प्रयोगशाला परिचर	आउटसोर्स के माध्यम से		01
		योग			03

12	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे				02
	1	असिस्टेन्ट प्रोफेसर-राजनीतिविज्ञान (पी0जी0)	15600-39100	6000	02
	योग				65
	महायोग				

2- सृजित पदों के सापेक्ष सुसंगत सेवानियमावली के आलोक में नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

3- उपरोक्त तालिकानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों पर नियुक्ति शासन की अनुमति से की जायेगी।

4- उक्त पदों के सृजन आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कालेज और संस्थान-04-वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण नये विषय/संकायों का खोला जाना नामक योजना के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 191 (p)xxvii(3)/2016-17 दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या- (1)/ xxiv(7)/8(घो0)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6- सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य, द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
7- लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
8- कोषाधिकारी संबंधित कोषागार।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
10-अनुभाग अधिकारी, घोषणा अनुभाग को घोषणा संख्या 389/2015, 557/2015, 540/2015, 661/2015, 676/2015, 754/2015, 1015/2015, 1072/2015, 1782/2015, 1848/2015, 1971/2015 एवं 2171/2015 के क्रम में।
11- वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
12- गाई फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रवक्ता - 31
III - 19
IV - 15
65

डिग्री प्लान
125

Annexure – (12)

संख्या– 1101 /xxiv(7)/2014–11(घो.)/12

प्रेषक,

डॉ0उमाकान्त पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7(उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 30 जून, 2014

विषयः– राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में कला संकाय के अन्तर्गत स्नात्तकोत्तर स्तर पर पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2711/xxiv(7)/2013–11(घो)/12 दिनांक 17.10.2013 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री प्लान(घों)/15944/2013–14 दिनांक 04.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में स्नात्तकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अधीन निम्नविवरणानुसार असिस्टेन्ट प्रोफेसरों के पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक (बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जॉय) के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

कसं	पदनाम	वेतनमान रू. में	ग्रेडवेतन रू. में	पदों की सं0
1	असिस्टेंट प्रोफेसर –हिन्दी	15600–39100	6000	02
2	असिस्टेंट प्रोफेसर –राजनीतिशास्त्र	15600–39100	6000	02
	कुल योग–			04

2– सृजित पदों के सापेक्ष सुसंगत सेवानियमावली के आलोक में नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

3– उक्त पदों के सृजन आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कालेज तथा संस्थान–04–वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश की सुसंगत इकाइयों से वहन किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :35 (p)/xxvii(3)/2014–15 दिनांक 03 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0उमाकान्त पंवार)
सचिव

.................2/

पृ0संख्या- (1)/xxiv(7)/2014-11(घो.)/12तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3- जिलाधिकारी चमोली।
4- निजी सचिव मा0 उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड।
5- लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6- कोषाधिकारी संबंधित कोषागार।
7- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9- वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
10-अनुभाग अधिकारी, घोषणा अनु. को घो.स. 418/2012 के क्रम में।
11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।